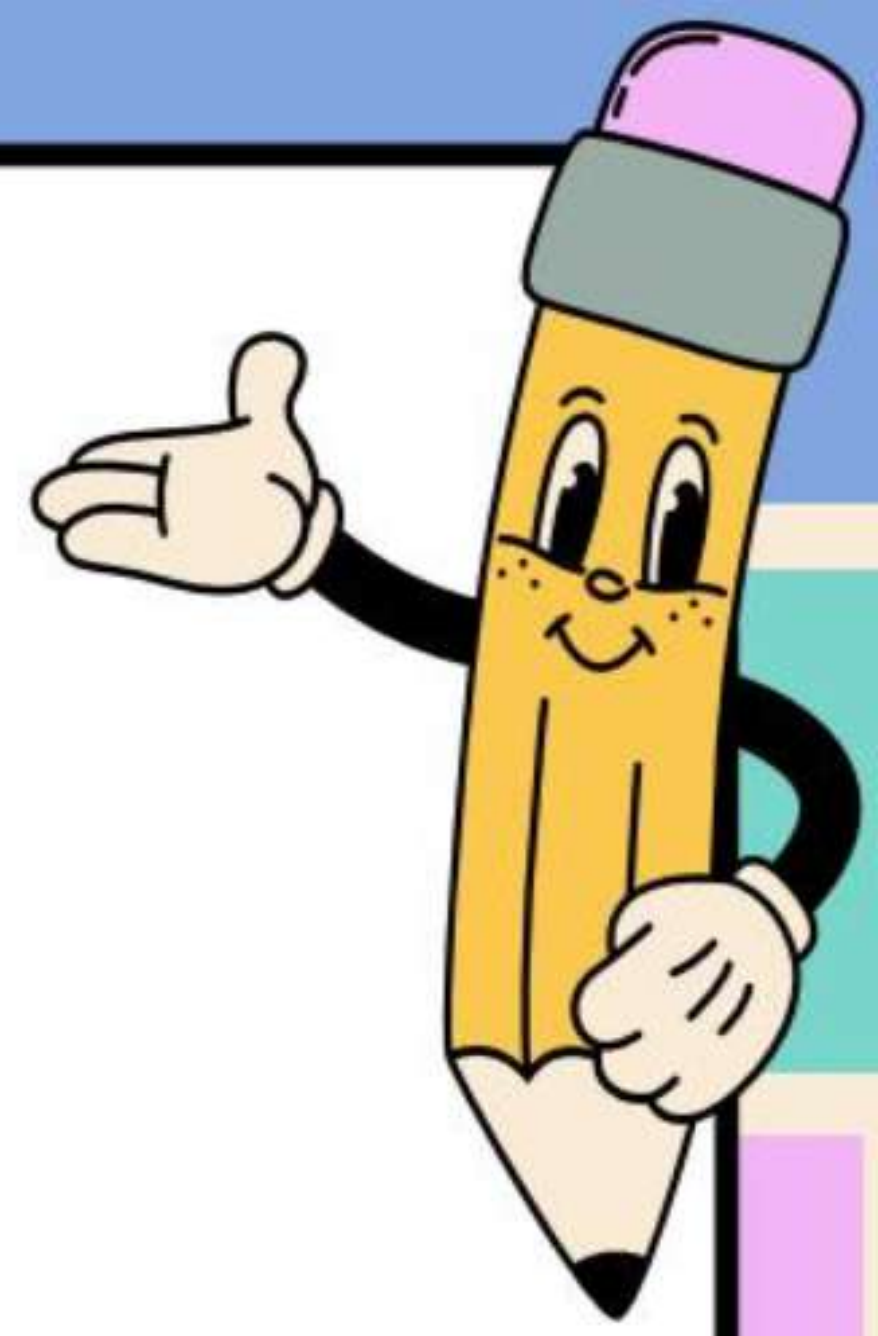


Prime Minister & Council of Minister



प्रधान मंत्री और
मंत्रिपरिषद्



PRIME MINISTER (प्रधानमंत्री)



- A Prime Minister is the head of government in India's political setup. He is the de facto head of state. भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह वास्तव में राष्ट्राध्यक्ष होता है। ✓
- The Prime Minister is appointed by the President of India and is the leader of the party or coalition that holds the majority of seats in the Lok Sabha, the lower house of India's parliament. प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उस दल या गठबंधन का नेता होता है जिसके पास भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा में बहुमत होता है।
- The Prime Minister is responsible for the administration of the government and serves as the chief spokesperson for the government's policies. प्रधानमंत्री सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और सरकार की नीतियों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है।

Constitutional Provisions related to Prime Minister

(प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान)



Article 75 (1)

- The President shall appoint the Prime Minister who, in his opinion, commands the confidence of the majority of the members of the Lok Sabha./ राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा जो उसकी राय में लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त करता हो।
- The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister./ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- The Prime Minister shall be the head of the Council of Ministers./ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा।

Article 75 (2):

- The Prime Minister can be removed from office by a vote of no confidence passed by a majority of the members of the Lok Sabha, or if he resigns from office./ प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या यदि वह पद से त्यागपत्र दे दे, पद से हटाया जा सकता है।

Article 75 (3):

- The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha./ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- The Prime Minister holds office during the pleasure of the President but must have the support of a majority of the Lok Sabha./ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करता है, लेकिन उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है।

To President





Article 78 :

- **it shall be the duty of the Prime Minister/ प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा:**
 - ✓ **To communicate to the President all decisions of the council of minister relating to the administration of the affairs of the Union government./ संघ सरकार के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना।**
 - ✓ **To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the President may call for./ संघ के प्रशासन और विधान प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना, जिसकी राष्ट्रपति मांग करें।**
 - ✓ **If the President so requires, to submit for reconsideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council./ यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहें, तो मंत्रिपरिषद के समक्ष ऐसे किसी भी मामले पर पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करना, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो, परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।**

Article 84 (2) :

- **Must be a citizen of India and a member of either the Lok Sabha or the Rajya Sabha./ भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए।**

2014 → BJP

* Arun Jaitley → Amritsar
finance Minister (Rajyasabha)

* Smriti Irani → Amethi
Education Minister

Oath, term and Salary of Prime minister

(प्रधानमंत्री की शपथ, कार्यकाल और वेतन) Lok Sabha



- **Oath:** Before assuming the office of the Prime Minister, the President administers oaths of office and secrecy to the Prime Minister-Elect./ प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति, निर्वाचित प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ✓
- **Term:** The duration of the Prime Minister's term is not fixed, and they hold the position at the pleasure of the President./ प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करते हैं।
 - ✓ As long as the Prime Minister maintains majority support in the Lok Sabha, He / She cannot be dismissed by the President./ जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उन्हें पद से नहीं हटा सकते।
 - ✓ But, if he/she loses the confidence of the Lok Sabha, he/she must resign, or the President may dismiss him/her./ लेकिन, यदि वे लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं।
- **Salary:** The salary and allowances of the Prime Minister are determined by the Parliament from time to time. He/she gets the salary and allowances that are payable to a member of Parliament./ प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें संसद सदस्य के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं।

Powers and functions of Prime Minister

In relation to council of minister

The Prime minister enjoys the following powers:

1. He/she recommends persons who can be appointed as ministers by the President.
2. He/she allocates and reshuffles various portfolios among the ministers.
3. He/she can ask a minister to resign or advise the President to dismiss him/her in case of differences of opinion.
4. He/she presides over the meeting of council of ministers and influences its decisions.
5. He/she guides, directs, controls, and coordinates the activities of all the ministers.

In relation to the President

The Prime minister enjoys the following powers:

1. He/she is the principal channel of communication between the President and the council of ministers.
2. he/she advises the President with regard to the appointment of important officials like attorney general of India, comptroller and auditor general of India, chairman and members of the UPSC, election commissioners, chairman and members of the finance commission and etc.
3. He/she advises the President with regard to summoning and proroguing of the sessions of the Parliament.
4. He/she can recommend dissolution of the Lok Sabha to President at any time.

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

मंत्रिपरिषद के संबंध में

प्रधानमंत्री के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

1. वह उन व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
2. वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
3. वह किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
4. वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
5. वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है।

राष्ट्रपति के संबंध में

प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं:

1. वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम है।
2. वह भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
3. वह संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
4. वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है।

Other Powers of Prime minister:

(प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ)



- He/she is the chairman of the / वह अध्यक्ष हो
 - ✓ NITI Aayog / नीति आयोग
 - ✓ National integration council/ राष्ट्रीय एकीकरण परिषद
 - ✓ Inter-state council/ अंतरराज्यीय परिषद
 - ✓ National water Resources and some other bodies./ राष्ट्रीय जल संसाधन और कुछ अन्य निकायों के अध्यक्ष हैं।
- He/she plays a significant role in shaping the foreign policy of the country./ वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- He/she is the chief spokesperson of the Union Government./ वह केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं।
- He/she is the leader of the party in power./ वह सत्तारूढ़ दल के नेता हैं।
- He/she is the political head of the services./ वह सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख हैं।

Council of Ministers (COM)

(मंत्रिपरिषद की संरचना)



Article 74 :

- There shall be a council of Ministers with Prime Minister at the head to aid and advise the President./ राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।
- The President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice of COM./ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- The advice tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court./ मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी।

Article 75 :

- The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister./ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।
- ✓ The total members including the Prime minister shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha (91st Amendment Act of 2003)./ प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्य लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे (91वाँ संशोधन अधिनियम, 2003)।

- A member of either house of Parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister (91st Amendment Act of 2003)./ संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल का हो और दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया हो, उसे मंत्री नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा (91वाँ संशोधन अधिनियम, 2003)। ✓
- The minister shall hold the office during the pleasure of the President./ मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा।
- The council of minister shall be collectively responsible to the Lok Sabha./ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ✓
- A minister who is not a member of parliament for any period of six consecutive months shall cease to be a minister. / कोई भी मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि तक संसद का सदस्य नहीं रहता है, वह मंत्री नहीं रहेगा।

Article 77 :

- **conduct of Business of the Government of India/ भारत सरकार का कार्य संचालन**
 - ✓ All executive action of the GOI shall be expressed to be taken in the name of the President./ भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से मानी जाएगी।
 - ✓ The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the GOI, and for the allocation among Ministers of the said business./ राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएंगे।

Article 78 :

- **duties of Prime Minister/ प्रधानमंत्री के कर्तव्य**

Article 88 :

- **rights of ministers as Respects the houses/ सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार**
 - ✓ Every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the House and committee of Parliament of which he is a member./ प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन, सदन की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा।



Appointment of Ministers :

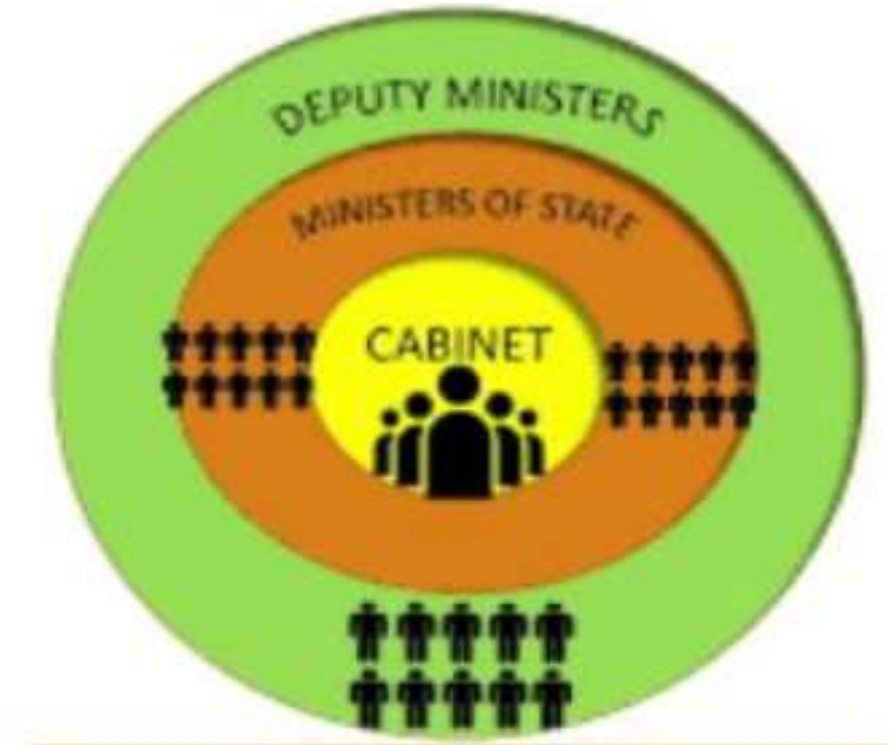
मंत्रियों की नियुक्ति :

Rajya Sabha → 250
238 ← 12



- The Prime Minister is appointed by the President, while the other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister./ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं।
- Usually, the members of Parliament is come from either Lok Sabha or Rajya Sabha. आमतौर पर, संसद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा से चुने जाते हैं।
- A person who is not a member of Parliament can also be appointed as a minister but within six months , he/she must become a member (either by election or nomination) of either house of Parliament, otherwise he/she cease to be a minister./ जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन छह महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य (चुनाव या नामांकन द्वारा) बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रह जाएगा।

Composition of Council of Ministers (मंत्रिपरिषद की संरचना)



- **Cabinet Ministers:** Their number is between 15- 20. They are important ministers hold key portfolios. They constitute the Cabinet i.e., the powerful policymaking and decision-making part of the Council of Ministers./ इनकी संख्या 15 से 20 के बीच होती है। ये महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और प्रमुख विभागों का कार्यभार संभालते हैं। ये कैबिनेट का गठन करते हैं, अर्थात् मंत्रिपरिषद का नीति-निर्धारण और निर्णय लेने वाला शक्तिशाली अंग।
- **Ministers of State:** They constitute the second category of ministers. They are not the members of the Cabinet. A minister of state either holds an independent charge of a small department or is attached to a cabinet minister./ ये मंत्रियों की दूसरी श्रेणी के होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। राज्य मंत्री या तो किसी छोटे विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं या कैबिनेट मंत्री से संबद्ध होते हैं।

- Deputy Ministers: They are helping ministers attached to the Cabinet Ministers or the Ministers of State. No Deputy Minister holds an independent charge of any department. The present Union Council of Ministers has no Deputy Minister as its member./ वे कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबद्ध सहायक मंत्रियों होते हैं। कोई भी उप-मंत्री किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता है। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई उप-मंत्री सदस्य के रूप में नहीं है।
- Parliamentary Secretaries: They are neither minister nor are they assigned any administrative work. Their sole function is to help the ministers in the Parliament. They do not draw any salary/ वे न तो मंत्री होते हैं और न ही उन्हें कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा जाता है। उनका एकमात्र कार्य संसद में मंत्रियों की सहायता करना है। वे कोई वेतन नहीं लेते हैं।
- Office of Deputy Prime Minister: The Constitution does not provide for the office of the Deputy Prime Minister. As such it is the sweet will of the Prime Minister to have or not to have a Deputy Prime Minister in his Council of Ministers / संविधान में उप-प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। इसलिए, यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी मंत्रिपरिषद में उप-प्रधानमंत्री रखे या न रखे।

Kitchen Cabinet :

Meaning : / अर्थ:

- the kitchen cabinet refers to a small, informal group of ministers who assist and advise the Prime Minister in decision making/ किचन कैबिनेट मंत्रियों के एक छोटे, अनौपचारिक समूह को संदर्भित करता है जो निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह करते हैं।
- It functions outside the formal council of Ministers structure./ यह मंत्रिपरिषद की औपचारिक संरचना से बाहर कार्य करता है।

In Indian Context : / भारतीय संदर्भ में:

- In India, the term is used informally to describe a small group of trusted colleagues or advisors of the Prime Minister who influence major policy decisions./ भारत में, इस शब्द का प्रयोग अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सहयोगियों या सलाहकारों के एक छोटे समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो प्रमुख नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
- It has no constitutional basis – it exist by political convention and practice./ इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है - यह राजनीतिक परंपरा और व्यवहार से अस्तित्व में है।

Kitchen Cabinet :



Functions /कार्य:

- Advises the Prime minister on crucial policy and political matter/
प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण नीतिगत और राजनीतिक मामलों पर सलाह देना
- Screens and filters issues before they are discussed in the full cabinet/
पूर्ण मंत्रिमंडल में चर्चा से पहले मुद्दों की जाँच और फ़िल्टरिंग करना
- Facilitates quick and confidential decision making/ शीघ्र और गोपनीय निर्णय लेने में सहायता करना ✓
- Helps the Prime minister to maintain political coordination and control over the government./ प्रधानमंत्री को राजनीतिक समन्वय बनाए रखने और सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करना। ✓

Important article related to Prime Minister and COM

Article No.	Subject - matter
Article 74 ✓	• Council of minister to aid and advice the President/ राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
Article 75 ✓	• Other provisions as to ministers / मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान
Article 77 ✓	• Conduct of business of the Government of India/ भारत सरकार का कार्य संचालन
Article 78 ✓	• Duties of prime minister as respect the furnishing of information to the President etc./ राष्ट्रपति आदि को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
Article 88 ✓	• Rights of ministers as respects the Houses/ सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार